बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0– पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0–45–12/2018– 17

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक– 20/2/26

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत समस्तीपुर जिलान्तर्गत यू0 आर0 कॉलेज, रोसड़ा में अवस्थित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास की विशेष मरम्मति एवं रंग–रोगन कार्य (विद्युतीकरण कार्य सहित), कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन राशि रू० 33,40,400/– (रू० तैंतीस लाख चालीस हजार चार सौ) मात्र पर किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत समस्तीपुर जिलान्तर्गत यू0 आर0 कॉलेज, रोसड़ा में अवस्थित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास की विशेष मरम्मति एवं रंग–रोगन कार्य (विद्युतीकरण कार्य सहित), कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन राशि रू० 33,40,400/– (रू० तैंतीस लाख चालीस हजार चार सौ) मात्र पर किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–03 के तहत मुख्य शीर्ष 2059–लोक निर्माण कार्य–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघु शीर्ष–053–रखरखाव तथा मरम्मत–उप शीर्ष–0101–पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत विषय शीर्ष–27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत विपत्र कोड–03–2059800530101 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे तथा इसकी निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.2010 के आलोक में निकासी की कारवाई करेंगे।

5. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–443 दिनांक–14.01.2025 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी अनुमोदन प्रदत प्राक्कलन के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड, गुणवत्ता के अनुसार जीर्णोद्धार कार्य समय–सीमा के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जीर्णोद्धार कार्य के क्रम में पूर्व से किये गये विद्युतीकरण कार्य में किसी प्रकार की क्षति नहीं हो।

6. इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गयी राशि की उपयोगिता की सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7. संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा कार्य से संबंधित विस्तृत प्राक्कलन एवं DPR Report जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर को उपलब्ध कराया जायेगा एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत सक्षम प्राधिकार को हस्तांतरित किया जाएगा तथा इसकी सूचना जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भी निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

P.T.O

8. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिए गए निदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. प्रस्ताव पर दिनांक–13.02.2026 को आयोजित बैठक में स्कीम स्क्रिनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

10. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/2/26

(अनिल कुमार ठाकुर),

अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0–45–12/2018– 17 पटना, दिनांक– 20/2/26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/2/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0–45–12/2018– 17 पटना, दिनांक– 20/2/26

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर/मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/2/26

अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं0–45–12/2018– 17 पटना, दिनांक– 20/2/26

प्रतिलिपि–निदेशक/उप सचिव (बजट शाखा)/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/2/2026

अपर सचिव।

D/Puja Sinha/Sanction Order/Jkt Sanction Order